	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	अग्रहायण 04, सोमवार, *शाके* 1941–नवम्बर 25, 2019	
	Agrahayana 04 Monday, Saka 1941–November 25, 2019	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएं।

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

आदेश

जयपुर, सितम्बर 16, 2019

संख्या भू.अ./ई-3/2019/14805 :- संयुक्त शासन सचिव राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के पत्रांक प.9(18) राज-6/18/13 जयपुर, दिनांक 15.03.2018 को जारी अधिसूचना द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (वर्ष 1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन मामलो में जहां कुछ खसरे संबधित ग्राम की सीमा के अन्दर स्थित न होकर अन्य निकटवर्ती ग्राम की सीमा में स्थित है, वहां धारा 16 के खण्ड (ख) के अधीन ग्राम की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्तियां जिला कलक्टर को अपने-अपने अधिकारिता के क्षेत्र में प्रयोग करने हेतु प्रत्यायोजित की गई है ।

उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों के नक्शों के डिजिटाईजेशन की प्रक्रिया में तहसीलदार जमवारामगढ के पत्रांक 5359 दिनांक 04.09.2019 द्वारा DILRMP कार्यक्रम के तहत प्राप्त प्रस्ताव अनुसार तहसील जमवारामगढ के प.ह. नेवर का राजस्व ग्राम खेडावास नेवर के खसरा न. 148, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 150 किता- 8 रकबा 21.08 बीघा लगान 8.92 रूपये को ग्राम नेवर तहसील जमवारामगढ में सम्मिलित करने एंव ग्राम नेवर के खसरा न. 55 रकबा 01.14 बीघा लगान 3.20 रूपये को ग्राम खेडावास नेवर तहसील जमवारामगढ में सम्मिलित करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है । उक्तानुसार रिकॉर्ड संधारित किया जावे ।

उपरोक्तानुसार संशोधन के पश्चात उक्त ग्रामों की स्थिति निम्नानुसार रहेगीः-

नाम ग्राम	वर्तमान मे ग्राम की स्थिति			प्रस्तावित संशोधन के बाद ग्राम की स्थिति		
	खसरा	रकबा (बीघा में)	लगान	खसरा	रकबा (बीघा में)	लगान
खेडावास नेवर	207	1469.15	1487.19	200	1450.01	1481.47
नेवर	360	2614.05	2830.12	367	2633.19	2835.84

जगरूप सिंह यादव,

जिला कलक्टर जयपुर।

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR AND DISTRICT MEGISTRATE, JAIPUR

ORDER

Jaipur, September 16, 2019

S.No./L.R./E-3/2019/14805 .- In exercise of the powers conferred by notification on dated 15-3-18 letter no. p-9(18)raj-6/18/13 jaipur, by Joint secretary, revenue department (group-6) government of rajasthan, by clause (A) of sub-section (1) of section 260 of rajasthan land revenue Act 1956 (rajasthan Act no. 15 of 1956), in those cases where certain khasras not situated inside the related village boundary it is situated in the border of the nearby village where under clause (B) of section 16 powers of change the boundaries of village delegated to the district collector for the use in their jurisdiction.

Under the said provisions in the process of digitizing of maps of revenue villages, recommendation through DILRMP program received from Tehsildar Jamvaramgardh by letter no. 5359 dated 04.09.2019, as received recommendation khasra no. 148, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 150 total khasras- 8 total area- 21.08 bigha and land revenue 8.92 Rs. of revenue village Khedavas Nevar of patwar circle Nevar to be included in village Nevar and khasra no. 55 area 01.14 bigha land revenue 3.20 Rs. of village Nevar to be included in village Khedavas Nevar of tehsil Jamvaramgardh. Approval is provided according to the list given below. According to this the said record should be maintained.

After modification in record position of said villages are as follows:-

Name of village	Position of the village at present			Village position after recommended modification		
	Khasra	Area (bigha)	Land revenue	Khasra	Area (bigha)	Land revenue
Khedavas Nevar	207	1469.15	1487.19	200	1450.01	1481.47
Nevar	360	2614.05	2830.12	367	2633.19	2835.84

JAGROOP SINGH YADAV ,
DISTRICT COLLECTOR
JAIPUR.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।